121 साल पुराने

श्री द्वारकाधीश मंदिर का शुरु हुआ कायाकल्प

मथुरा के प्रेम मंदिर जैसी दिखेगी भव्यता

संजीव कुमार शर्मा

ग्वालियर,10फरवरी। उप मुरार क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक श्री द्वारकाधीश मंदिर के गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नवनिर्वाचित मंदिर समिति के गठन के साथ ही मंदिर को एक नया और आकर्षक रूप देने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इससे मंदिर पर रोजाना आने वाले भक्तजन काफी प्रसन्न है। मंदिर में पूजा करने आए कई भक्तों ने कहा कि हम यहां बरसों से पूजा करने आ रहे हैं इस मंदिर में हमारी बड़ी आस्था है तो किसी ने कहा कि द्वारकाधीश भगवान की मूर्ति देखकर ही दिन की शुरुआत होती है द्वारकाधीश मंदिर लोक का निर्माण होने से ग्वालियर का यह मंदिर धार्मिक पर्यटन का केंद्र भी बन जाएगा।

गुजरात से आई प्रतिमा का है विशेष इतिहास: मंदिर समिति के महामंत्री जगदीश मित्तल ने मंदिर के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यहाँ विराजमान भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति बेहद खास है। उन्होंने जानकारी दी कि यह मूर्ति उसी पत्थर से निर्मित है जिससे गुजरात के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर की प्रतिमा बनी है। सेठ कन्हैयालाल वैश्य ने चार बीघा जमीन खरीदकर इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर में मूर्ति की स्थापना वर्ष 1901 में की गई थी। उनके कोई संतान नहीं थी उन्होंने यह मंदिर पंचों को सौंप दिया था आज यहां पर मंदिर समिति व्यवस्था देख रही है। मंदिर को 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो इस मंदिर की प्राचीनता और आस्था को दर्शाता है।

व्यावसायिक नहीं, केवल धार्मिक होगा विस्तार

मंदिर समिति के अध्यक्ष पारस जैन ने स्पष्ट किया कि जीर्णोद्धार का उद्देश्य केवल मंदिर की भव्यता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा मंदिर परिसर में कोई भी ऐसा निर्माण नहीं किया जाएगा जो व्यावसायिक उद्देश्य या निजी स्वार्थ के लिए हो। हमारा एकमात्र लक्ष्य इस प्राचीन धरोहर को संवारना है। भविष्य की योजना साझा करते हुए अध्यक्ष ने बताया कि इस मंदिर को मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध 'प्रेम मंदिर' की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए विशेष नक्काशी और आकर्षक निर्माण कार्य की रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि श्रद्धालु यहाँ आकर वैसी ही दिव्यता और शांति का अनुभव कर सकें। मंदिर का 400 स्क्वायर फीट फ्रंट है एक लाख फुट जमीन है। यह प्राइवेट भूमि है इसमें 7:30 हजार स्क्वायर फीट में एक फुल एयर कंडीशनर बड़ा हॉल बनाया जा रहा है जिसमें सत्संग होंगे। ऊपर के दो मंजिलों पर संत निवास और पुजारी निवास समिति कार्यालय होगा। अभी यहां जो भी निर्माण चल रहा है वह सिर्फ जन सहयोग और द्वारकाधीश महाराज की कृपा से बिना मांगे हो रहा हैं।

रोज आते हैं सैकड़ो श्रद्धालु, होते हैं भजन

मंदिर में इस समय चार पुजारी है। मुख्य द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी पंडित राज किशोर हरदैनियाँ ने बताया कि सुबह से शाम तक यहां सैकड़ो भक्तजन रोजाना पूजा करने आते हैं। भजन, भंडारे और समय-समय पर श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा जैसे आयोजन भी होते हैं। मंदिर में बड़ा सभागार भजन कीर्तन के लिए बन रहा है। आने वाले दिनों में मंदिर की भव्यता और बढ़ेगी और यहां भक्तों की संख्या में भी इजाफा होगा।

प्रसादी वितरण की अनुमति नहीं तो देंगे धरना

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,10फरवरी। महाशिवरात्रि के पर्व पर ग्वालियर के प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिर में नि:शुल्क प्रसादी वितरण की अनुमति को लेकर विवाद गहरा गया है। मंदिर न्यास के पूर्व सूचना सचिव महेन्द्र भदकारिया और सैकड़ों भक्तों ने प्रशासन से प्रसादी स्टॉल लगाने की अनुमति मांगी है। मांग पूरी न होने पर भक्तों ने कल बुधवार, 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे से मंदिर परिसर में शांतिपूर्ण धरने का ऐलान किया है। भक्तों की मांग है कि राम मंदिर के सामने 'त्रिशूल स्थली' या प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर नि:शुल्क प्रसादी वितरण की अनुमति दी जाए। लाखों की भीड़ को देखते हुए सुगम आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित करने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का सुझाव दिया गया है। भक्तों का कहना है कि दशकों से चली आ रही प्रसादी वितरण की परंपरा को रोकना धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है। न्यास प्रमुख जस्टिस एन.के. मोदी को इस संबंध में अनुरोध पत्र सौंपा गया है। महेन्द्र भदकारिया ने नगर की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।

गौ रक्षकों ने गौवंश मांस से भरा ट्रक पकड़ाया

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,10फरवरी। शहर में गौवंश की तस्करी और अवैध परिवहन के खिलाफ गौ सेवकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 9 फरवरी की रात करीब 11 बजे राष्ट्रीय सनातन सेना भारत और गौ रक्षा दल के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए कथित तौर पर गौवंश मांस से लदे एक ट्रक को पकड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध ट्रक सेवा नगर क्षेत्र से गुजर रहा है। सूचना मिलते ही गौ सेवक सक्रिय हुए और ट्रक का पीछा करना शुरू किया। घेराबंदी कर ट्रक को चेतकपुरी इलाके में रोक लिया गया।

ट्रक में मिला भारी मात्रा में मांस: सूत्रों के मुताबिक, जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 200 से अधिक गौवंशों का कटा हुआ मांस भरा पाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में गौ मांस देखकर मौके पर भारी रोष व्याप्त हो गया। गौ सेवकों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस की कार्रवाई, जाँच जारी: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुँचा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। ट्रक कहाँ से आया था और इसे कहाँ ले जाया जा रहा था, पुलिस अब इन कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। **गौ सेवकों का संदेश:** हम किसी भी कीमत पर अपनी गौ माता का अपमान और तस्करी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन को दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए।

एचडीएफसी बैंक बनाम हरी सिंह लोधी : चेक बाउंस प्रकरण में न्यायालय का निर्णायक फैसला

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,10फरवरी। ज़िला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा दायर चेक बाउंस प्रकरण में आरोपी हरी सिंह को दोषी करार दिया है। प्रकरण के अनुसार, एचडीएफसी बैंक द्वारा आरोपी हरी सिंह को लोन सुविधा प्रदान की गई थी। भुगतान में लगातार चूक होने पर जब बैंक ने वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की, तो आरोपी द्वारा 71613 रूपये का चेक प्रस्तुत किया गया, जो अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। बैंक द्वारा विधिसम्मत नोटिस जारी किए जाने के बावजूद आरोपी द्वारा भुगतान न किए जाने पर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत, माननीय ग्वालियर ज़िला न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए छः माह के सश्रम कारावास तथा 120225 रूपये के भुगतान का आदेश पारित किया, जिसमें 71613 रूपये की चेक राशि एवं 48612 रूपये की दंडात्मक ब्याज राशि सम्मिलित है। इस प्रकरण में एचडीएफसी बैंक की ओर से लीगल मैनेजर श्री चिन्मय पाठक ने साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा अधिवक्ता श्री संदीप दुबे ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष सभी साक्ष्य एवं तथ्यों को दृढ़ता से रखा। यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरक कदम है। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि भुगतान संबंधी दायित्वों की अनदेखी करने वालों को कानूनी दंड से नहीं बख्शा जाएगा।

अपर आयुक्त ने किया साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण

ग्वालियर, 10 फरवरी। अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने वार्ड 1, 2 एवं 3 में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को समय पर साफ सफाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी अजय ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर आए निकित जाटव

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,10फरवरी। शासकीय हरि दर्शन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र निकित जाटव गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने के उपरांत आज विद्यालय में उपस्थित हुआ विद्यालय परिवार ने उसका खूब जोर-शोर से स्वागत किया। विद्यालय प्राचार्य अनूप शर्मा ने निकित के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी एवं उसे आगे भी उन्नति व ऐसे ही उत्कृष्ट कार्य करते रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। ए एन ओ ऋतु भार्गव ने भी निकित द्वारा गणतंत्र दिवस की रैली में सम्मिलित होकर ग्वालियर एवं विद्यालय का रोशन करने पर हार्दिक बधाई प्रेषित की और आगे भी बी एवं सी सर्टिफिकेट में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर वसुंधरा निगड़ीकर, बृजेश शर्मा, अरविंद सोनी ,मंजू शर्मा समस्त विद्यालय परिवार और एन सी सी कैडेट उपस्थित रहे।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री खण्डेलवाल 14 को ग्वालियर में

नवभारत न्यूज

ग्वालियर,10फरवरी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेन्द्र जैन ने बताया कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी सांसद एवं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खण्डेलवाल 13 फरवरी को बॉम्बे राजधानी एक्सप्रेस से ग्वालियर आयेंगे व 14 फरवरी को प्रात: दंदरौआ धाम के दर्शन करने जायेंगे, तत्पश्चात ग्वालियर व्यापार मेले में ''भारतीय व्यापार महोत्सव'' के स्टॉल का अवलोकन करेंगे। प्रवीन खण्डेलवाल के ग्वालियर आगमन पर कैट मध्यप्रदेश की बैठक का आयोजन भी किया गया है।

इस बैठक में वे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेन्द्र जैन ने बताया कि 14 फरवरी को जीवाजी क्लब में लगने वाले दादी-नानी की रसोई से व्यन्जनों के मेले में प्रवीन खण्डेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे व इस अवसर पर संगठन को लेकर विस्तृत चर्चा की जायेगी।

एसबीआई द्वारा ऋण न चुकाने पर वाहन किए गए जब्त

ग्वालियर। जिन ग्राहकों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से वाहन ऋण लिये गये थे और उनके द्वारा बैंक को समय पर ऋण चुकता नहीं किया गया। तब बैंक द्वारा कार्रवाई कर उनके वाहनों को जब्त किया गया। स्टेट बैंक के अधिकारी द्वारा बताया गया कि ऋण ना चुकाने वाले ग्राहकों के विरुद्ध पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट के सेक्शन 25 एवं नेगोशिएबल इंटरमेंट एक्ट के सेक्शन 138 की कार्यवाही करते हुए कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। यदि बैंक द्वारा दी गई अवधि में ऋणकर्ता बैंक का ऋण नहीं चुकाता है तो बैंक द्वारा उनके जब्त वाहनों की नीलामी कर उनसे वसूली की जाएगी।

कार्यालय नायब तहसीलदार तहसील पोहरी

// सूचना //

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद पोहरी के द्वारा पेजल वितरण योजना (पानी की टंकी निर्माण क्लीयर वाटर सम्पवैल, सफाई एवं वितरण पाईपलाईन) हेतु सर्व न. 323 रकबा 0.10 हे0 मैं से भूमि आवंटन नजूल निर्वतन नियम के अनुसार भूमि आवंटन की जा रही है। इस संबंध में किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर न्यायालय नायब तहसीलदार पोहरी को प्रस्तुत करें आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे हास्तक्षार एवं न्यायलीन मुद्रा से जारी किया गया। निर्धारण दिनांक/समय के पश्चात प्राप्त आवेदन / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

स्थान पोहरी
दिनांक 10/02/2026
नायाब तहसीलदार
तहसील पोहरी,जिला शिवपुरी

CHANGE OF NAME

I, **Sachin Jain S/o Shubhash Chand Jain** R/o Chick Santar, Morar, Gwalior, Dist: Gwalior, Madhya Pradesh - 474006, have changed the name of my minor son Ankshit, Aged 10 Years and he shall here after be known as **Anchit Jain.** It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vide Affidavit No. BX 865243 Dated 03/02/2026

इश्तहार

आवेदक तरूण बौहरे पुत्र श्री ओमप्रकाश बौहरे नि0 एम.जे.एस कॉलेज के पास चौहरे फार्म हाजारा निण्ड म0प्र0 के द्वारा का शपथपत्र एवं सूची दस्तावेज पेश कर उनका विवाह आवेदिका पिंकी पुत्री रामनारायण शर्मा नि0 बी. ब्लॉक शास्त्री नगर भिण्ड म0प्र0 के साथ दिनांक 08.05.2002 को बी ब्लॉक शास्त्री नगर भिण्ड म0प्र0 में हिन्दू रीतिरिवाज से सम्पन्न हुई थी। आवेदक को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अत: विवाह पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया है। उन्होंने यह भी शपथपूर्वक लिखा है कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निम्न शर्तें पूरी की जा रही हैं किसी पक्षकार का एक से अधिक पति या पत्नी रजिस्ट्रीकरण के समय जीवित नहीं है ।पक्षकार उस विवाह अधिकारी के जिले के भीतर तारीख के ठीक पहले, जब विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन विवाह अधिकारी को किया हो कम से कम तीस दिन की कालावधि तक निवास करते रहे हैं। एतद् द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है। उक्त विवाह के सम्बंध में यदि कोई आपत्ति/जानकारी/आवेदन इस प्रकरण में यह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक के 30 दिवस के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है। यह जानकारी आपत्ति लिखित / मौखिक दोनों रूपों में स्वंय उपस्थित होकर या अधिकृत प्रतिनिधि कर माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के भिण्ड स्थित न्यायालय में न्यायालयीन समय पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

उपनाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता है कि मै **अक्षत तोमर पुत्र श्री दीपक सिंह तोमर** निवासी- CH-105, दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड महाराजपुरा ग्वालियर, (म.प्र.) यह कि मुझ प्रार्थी का पूर्व में नाम **अक्षत सिंह तोमर AKSHAT SINGH TOMAR** अंकित है। जबकि अब मैने अपना नाम **अक्षत सिंह तोमर AKSHAT SINGH TOMAR** के स्थान पर **अक्षत तोमर AKSHAT TOMAR** रख लिया है। अत: अब मुझे भविष्य में **अक्षत तोमर AKSHAT TOMAR** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जायें।

प्रार्थी
नाम अक्षत तोमर पुत्र श्री दीपक सिंह तोमर
निवासी-CH-105, दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड, महाराजपुरा ग्वालियर, (म.प्र.)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री बन्टी ने एक अचल संपत्ति जिसका प्लॉट क्र. 47 ग्राम शंकरपुरा खालसा तहसील मुरार व जिला ग्वालियर (मप्र) के सर्वे क्र. 130 की होकर जिसकी चतुर्सीमा:- पूर्व में- प्लाट क्र.46 ,पश्चिम में- भूमि दीगर, उत्तर में- रोड , दक्षिण में- प्लाट क्र. 38 व कुल क्षेत्राफल 884 वर्गफुट है को क्रय करने का लिखतम विक्रय अनुबंध-पत्र संपत्ति मालिक श्रीमान कमल सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह के साथ संपादित किया है। उक्त संपत्ति पूर्व में श्रीमान निरंजन व कमल सिंह पुत्रगण श्री उत्तम सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्य की थी जिसका उल्लेख राजस्व विभाग के दस्तावेजों में विधिवत दर्ज है, जिसमें उक्त संपत्ति के अंश भाग में से केवल श्रीमान कमल सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विलेख शीघ्र ही क्रेता के पक्ष में संपादित किया जाने वाला है। अतः उक्त संपत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय, बैंक या किसी अन्य उत्तराधिकारी का किसी पूर्ण या अंश भाग पर या किसी भी संस्था की कोई राशि अवशेष हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 07 (सात दिवस) की अवधि में विधिवत अपने दावे के समर्थन में समस्त प्रपत्र सहित मेरे कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा वर्णित अवधि के अवसान उपरांत समस्त आपत्तियां इस सूचना प्रपत्र के समक्ष व्यर्थ, शून्य व प्रभावहीन होगी और उक्त संपत्ति पर प्रदत्त ऋण हेतु बंधककर्ता वित्तीय संस्थान का अधिकार सर्वोपरि होगा। कृपया सूचित हो। इति दिनांक 10.02.2026

प्रेषक-**विशाल अग्रवाल** (एडवोकेट)
कार्यालय -"मैसर्स श्री हीरानन्द लीगल कंसल्टेंट" ग्राउंड फ्लोर, यादव मार्केट, जीवाजी यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के पास, सिटी सेंटर ग्वालियर मो.9826820987

CHANGE OF NAME

I, **SAKILA BANO wife of Army No. 15160291W Rank- Hav Name- MOHAMMAD RAJJAB** Unit of 12 Fd REGT C/o 56 APO, Residence at 375/1, Ward No. 15 (Barhi) Post-Barhi, Te.-Barhi, Khanna Banjari, Katni (M.P.) have changed my name from **SAKILA BANO** to **SHAKEELA BANO** Vide Affidavit No. BX 853797 & Date- 09.02.2026 before District Court Gwalior

CHANGE OF NAME & D.O.B.

I, **Army No. 15160291W Rank- Hav Name- MOHAMMAD RAJJAB** Unit of 12 Fd REGT C/o 56 APO, Residence at 375/1, Ward No. 15 (Barhi) Post-Barhi, Te.-Barhi, Khanna Banjari, Katni (M.P.) have changed my Son name from **MOHAMMAD NAJUL to MOHAMMAD SHARAF RAJA & D.O.B. from 28-11-2006 to 28-07-2007** Vide Affidavit No. BX 853798 & Date- 09.02.2026 before District Court Gwalior

आम सूचना

श्री चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री महेश प्रसाद श्रीवास्तव के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति फ्लैट क्र.505, 3बीएचके, भावना रेजीडेन्सी स्थित सत्यदेव नगर, ठाटीपुर, तहसील एवं जिला दतिया (म.प्र.) में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र.19 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 1911 का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में फ्लैट क्र.506 एवं कॉमन पैसेज, पश्चिम में भवन मार्क न्यूसेन्ट स्कूल, उत्तर में फ्लैट क्र. 504 एवं दक्षिण में खुला क्षेत्रफल है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री हरनारायण शर्मा पुत्र श्री गेंदालाल शर्मा जर्ये मुख्यारआम श्री कैलाशनारायण शर्मा द्वारा श्री रामजीलाल पुत्र शिवदेव शर्मा को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2733 दिनांक 06.12.1985 से विक्रय की गई। श्री रामजीलाल शर्मा का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री वी.के. शर्मा पुत्र स्व. श्री रामजीलाल शर्मा एवं श्री राधावल्लभ शर्मा पुत्र स्व. श्री रामजीलाल शर्मा उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं नगर निगम ग्वालियर में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री राधावल्लभ शर्मा जर्ये मुख्यारआम श्री वी.के. शर्मा (स्वयं) द्वारा शिखर कंस्ट्रक्शन ग्वालियर जर्ये प्रोपराईटर श्री आशुतोष तिवारी पुत्र श्री घनश्यामदास तिवारी की सहमति से उक्त सम्पत्ति श्रीमती दीप्ती श्रीवास्तव पत्नी श्री सी.पी. श्रीवास्तव को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.2015 दिनांक 05.09.2007 से विक्रय की गई। श्रीमती दीप्ती श्रीवास्तव का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव पुत्र स्व. श्री महेश प्रसाद श्रीवास्तव उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं नगर निगम ग्वालियर में अपना नाम इंद्राज कराया गया। इसके बाद श्री चंद्रप्रकाश और सर्वसाधारण तथा अन्य लोगों के बीच मूल स्वामित्व दस्तावेज सौंपने के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ और इसे माननीय न्यायालय नौवें सिविल जज जूनियर डिवीजन ग्वालियर के समक्ष प्रकरण क्र.152ए/2018 के तहत पंजीकृत किया गया। इस पर दिनांक 14.08.2021 को निर्णय लिया गया और बैंक को आदेश दिया गया कि वह मूल स्वामित्व दस्तावेज श्री चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव को सौंप दे। श्री चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्री राजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री श्रीप्रकाश शर्मा के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्री राजीव कुमार शर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार आदित्य बिड़ला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्री रामजीलाल शर्मा एवं श्रीमती दीप्ती शर्मा के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भू-खण्ड कमांक 03 पर निर्मित एक आवासीय भवन जिसका क्षेत्रफल 512 वर्गफीट है, जो सर्वे क्रमांक 114/1/1 राजस्व ग्राम वीरपुर का भाग होकर वार्ड क्रमांक 65, ग्राम वीरपुर तहसील एवं जिला ग्वालियर, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है:- पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में लखन बैस का प्लॉट, उत्तर में -भवन कमांक 02 धीरज गुप्ता, दक्षिण में भवन कमांक 04 अशोक सिंह बैस रास्ता स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती रागिनी शर्मा पत्नि श्री शिवम समाधिया निवासी नाकाचन्द्रबदनी, गड्ढा वाला मोहल्ला, ग्वालियर, जिला ग्वालियर, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्री अशोक सिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत निवासी वीरपुर पहाड़िया, ग्वालियर, जिला ग्वालियर. म.प्र. से जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र ई-पंजीयन कमांक MP142602023ए12632828 से दिनांक 17/12/2023 को कयकर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, उक्त सर्वे संख्यांक की भूमि क्षेत्रफल 0.080 हेक्टेयर को विक्रेता श्री अशोक सिंह पुत्र श्री रामसिंह राजपूत अन्य सह स्वामियों के साथ संयुक्त, स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करता था तथा उसके द्वारा अपने भाग की भूमि से उक्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र आवेदिका के पक्ष में निष्पादित किया गया। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति/व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत् उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत् कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री श्याम सुंदर परमार पुत्र स्व. श्री रामावतार परमार एवं मैसर्स जय माँ पीताम्बरा डेवलपर्स जर्ये पार्टनर श्री प्रमोद सिंह पुत्र स्व. श्री लेखराम सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.01, स्थित लक्ष्मीबाई कॉलोनी, ग्राम हिंगोनाखुर्द, तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो भूमि सर्वे क्र.2663/1 ग्राम हिंगोनाखुर्द का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 540 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में भूमि दीगर, उत्तर में भूखण्ड क्र.01 का भाग एवं दक्षिण में-भूखण्ड क्र.02 (गोर) है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री केशव सिंह, श्री सोनेराम पुत्रगण श्री हुकेराम, श्री भरतलाल पुत्र श्री हरिलाल, मीरा पुत्री श्री हरिलाल, श्री केदार पुत्र श्री रूप सिंह, श्री रमेश पुत्र श्री दौजीराम, री लक्ष्मण पुत्र श्री गेंदालाल के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री केशव सिंह, श्री सोनेराम, श्रीमती मीरा, श्री केदार एवं श्री रमेश उर्फ रमेशचन्द्र द्वारा सम्पत्ति रकवा 0.252 हैक्टेयर एरिया श्री श्याम सुंदर परमार पुत्र स्व. श्री रामावतार परमार एवं मैसर्स जय माँ पीताम्बरा डेवलपर्स जर्ये पार्टनर श्री प्रमोद सिंह पुत्र स्व. श्री लेखराम सिंह को को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी25792022ए 11089162 दिनांक 02.11.2022 से विक्रय की गई। श्री श्याम सुंदर परमार एवं मैसर्स जय माँ पीताम्बरा डेवलपर्स जर्ये पार्टनर श्री प्रमोद सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती हमीदा पत्नी श्री अब्दुल सलीम खान के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती हमीदा द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. शाखा ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि समाप्त होने उपरांत वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृप्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
**कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्